

CBI has arrested him on their own. They need not take orders from anyone to arrest a person. ...(*Interruptions*)...The CBI does not need anybody's permission or anybody's order to arrest a person. They arrest in their own right. That is what they have done in this case.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, the UTI Headquarters is in Mumbai. If the CBI wants to investigate in Mumbai, it has to take the permission of the State Government. How is it that the Central Government does not know about it? ...(*Interruptions*)...It is totally unsatisfactory on the part of the Finance Minister of the country to say that the Government of India does not know...(*Interruptions*)... He is misleading the House.

श्री सुरेश पचौरी: सभापति जी, हमारे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं आया है ...(*व्यवधान*)... हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया है ...(*व्यवधान*)...

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, the Minister has not answered any of the questions which we had raised. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned for lunch at twenty-six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at twenty-nine minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair.

THE TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL, 2000

श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, व्यवसाय संघ अधिनियम , 1926 में जो प्रावधान थे, उसके बारे में मैंने संशोधनक विधेयक प्रस्तुत किया था, उस वक्त मैंने अपनी बात कही थी। यह 1926 का विधेयक प्रस्तुत है और 75 वर्ष बाद इस में संशोधन करने के उपाय कर रहे हैं। संशोधन करने की दृष्टि से अनेक उपाय किये गये जिसमें रामानुजम की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी। उसने अपनी सलाह और राय दी थी। उसके बाद समय समय पर उसमें संशोधन करने के उपाय किये गये किन्तु वह पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप तो यह सब पहले रख चुके हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया : इसलिए मैं यह सब समराइज कर रहा था। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैंने यह सब बातें सदन के समक्ष रखी थी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और विधेयक को पारित करने के लिए आप अनुदेश करें।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आजादी के बाद सरकारें चाहें किसी भी दल की रही हों, अनेकों कानून हैं, जिनमें संशोधन हुए और कई बार हुए। लेकिन यह एक ऐसा कानून है जिसमें 75 साल के बाद संशोधन हो रहा है और संशोधन भी बड़ा साधारण है, बड़ा सूक्ष्म है और तकनीकी है। इसलिए समर्थन तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन जब हम किसी विधेयक पर चर्चा करते हैं तो हमारी ऐसी परम्परा बन गई है। हमारे सी.पी.एम.के लोग यहां हाजिर रहते हैं, बड़ा अच्छा है, वे कामगारों की कर्मचारियों की हमेशा हिमायत, वकालत करते हैं लेकिन वह यह भूल जाते हैं और इतना ज्यादा कह चाते हैं कि उसका अर्थ ही नहीं रह जाता है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि हमारे एक साम्यवादी भाई अपना एक निजी विधेयक पिछले शुक्रवार को लाए थे और उसमें यह था कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ते का पूरा अधिकार होना चाहिये। मैंने चर्चा में भाग लेते हुए उस दिन यह कहा था। शायद आप भी उस दिन उपस्थित रहे हों, बजाय बेरोजगारी भत्ते के उनको रोजगार दिया जाए। उनको रोजगार ही देना चाहिये और जितने भी उपाय हो सकते हैं रोजगार के वह किये जाने चाहियें। उनमें से एक उपाय यह भी है कि कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति की आयु सीमा जो 55 वर्षों से बढ़ा कर 58 वर्ष की गई है और 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 की गई, उसको कम कर दिया जाए। मैं भारत के प्रधानमंत्री को और अपनी सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले की अवकाश प्राप्ति की आयु को 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष कर दिया गया है। मैं इसका श्रेय अकेले नहीं लेना चाहता हूँ, अन्य क्षेत्रों से भी आवाज आई होगी। लेकिन मेरे साम्यवादी भाइयों ने आज तक नहीं कहा कि 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष कर दिया जाए। मैं ही चिल्लाता रहा और मैं पुनः बधाई देता हूँ सरकार को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ट्रेड यूनियन...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : काम धाम जितना होता है...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम : आप भी बधाई दे दो सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री को।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह अपने भाषण में दे देंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम : यह नहीं कहेंगे। मैं इनकी आदत से परिचित हूँ। चार टांग की बकरी इनके सामने खड़ी कर दो इन्होंने अगर तीन टांग पढ़ी हैं तो तीन ही कहेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे अवसर पर अन्य विषयों पर भी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी संगठन होते हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह विद्यार्थी संगठनों के बड़े खिलाफ थे। अगर आपको ध्यान हो, जब वह उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे तो कई वर्षों तक उन्होंने विद्यार्थी संगठनों के चुनाव नहीं होने दिये थे मैं शायद व्यक्तिगत रूप से ऐसे जो संगठन हैं उनका ज्यादा पक्षधर नहीं रहा हूँ। मैं किस बात का पक्षधर हूँ दीनदयाल जी की सोच का। दीनदयाल जी की सोच क्या थी जीवन राय जी? आप जानते हैं।....(व्यवधान).... मैंने जीवन राय जी को मुखातिब किया है वरना मैं चेयर की तरफ मुंह करके बोल रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कि हमारे बहुत से उद्योग हैं। अब उन उद्योगों में बहुत से शेयर होल्डर होते हैं। वे शेयर केवल पैसे से खरीदते हैं उनमें से बहुतों को यह भी नहीं मालूम होता कि वह उद्योग कहां पर है, स्थित है कितने उसमें कर्मचारी है। कोई वास्ता नहीं है लेकिन उद्योग को फायदा होता है तो वे उसका डिवीडेंड लेते हैं लेकिन उद्योग के कर्मचारी जिनका सारा जीवन उस उद्योग से जुड़ा हुआ है उनको कोई डिवीडेंड नहीं मिलता। दीनदयाल जी ने यह कहा था कि उद्योगों में कर्मचारियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए उनकी

भागीदारी होनी चाहिए और मुनाफे पर उनको डिवीसडें मिलना चाहिए। मैं तो इस बात को यहां तक कहता हूं हमारे ये भाई इस तरफ ध्यान नहीं देते। मैं अपने भी सदस्यों का ध्यान चाहता हूं। यह दीनदयाल जी की सोच थी। अगर यह हो जाए। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर है उनका अपना अलग व्यवसाय है। लेकिन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों और कर्मकारों का सहारा उद्योग है इसी से जुड़े हुए हैं इसलिए उद्योग के मुनाफे में उनको डिवीडेंड मिले और उनकी भागीदारी हो, मैं इसका पक्षधर हूं। इसे कोई सरकार माने या नहीं माने। मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है जब नहीं हुआ तो आज जो ये कर्मचारी हैं और जिन्हें हम वर्कमेन कहते हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है।

दूसरी बात यह है कि मैं इनका विरोधी क्यों रहा? उपसभाध्यक्ष जी आपको ध्यान होगा ये जो बहुत से उद्योग हैं, आज हम बात तो ट्रेड यूनियनों की कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि कर्मकारों की यूनियन होनी चाहिए लेकिन जब उद्योग समाप्त हो जाएंगे कर्मकार रहेंगे ही नहीं तो यूनियन किसके लिए होंगी इसलिए कर्मकार हैं, और कर्मकार क्यों नहीं रहे? आजादी के बाद जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बनाए थे उनके पीछे मंशा गलत नहीं थी। कुछ लोग मुझसे सहमत हों या न सहमत हों चाहें मेरे इधर के हों। मंशा गलत नहीं थी। मंशा यह थी कि अपने देश में चीज बने, अपने लोग बनाएं, लोगों को रोजगार मिले मुनाफा हो या न हो लेकिन घाटा नहीं होनी चाहिए। यह इनके पीछे मंशा थी। लेकिन ये घाटे में क्यों चले गए? नम्बर एक उद्योगों के जो मुखिया बनाए गए वे विद कंसीडरेशन बनाए गए और उनसे पैसा लेकर चुनाव में खर्च किया गया। उद्योगों का भट्ठा ऐसे बैठा। नम्बर दो, उन मुखियाओं की कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गयी...(व्यवधान)... हंसों मत इनका साथ देते हो तुम। 50 साल राज किया है उन्होंने और उनका साथ देते हों...(व्यवधान)... कोई तो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं। वे रिटायर्ड चीफ जस्टिस बैठे हैं।

उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागड़ोदिया): आप कृपया अपनी बात कहें।

श्री दीपांकर मुखर्जी(पश्चिम बंगाल): आप ऐसी बात करेंगे तो आपका साथ देंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: दूसरी बात, उनकी कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं थी अगर यह कहते कि मुनाफा होगा तो बोनस चाहे जितना लें, अगर घाटा हो तो तुम्हारी तनखाह से वसूल किया जाएगा तो कैसे घाटा बैठता। नम्बर तीन नेताओं ने अंधाधुंध भर्ती कर ली और नम्बर चार इन्होंने हड़तालें करवा कर मजबूर भी कर दिया। ये लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर ये ट्रेड यूनियन नहीं होती तो काहें को भट्ठा बैठता और ट्रेड यूनियन नहीं होती तो कोई कारखाना बंद नहीं होता। ये यूनियनों ने बंद कराए।

मुझे मालूम है अच्छी तरह से बुलंदशहर में सिकन्दराबाद क्षेत्र में जब उद्योगीकरण हुआ तब मैं कम्युनिस्टों के साथ काम करता था गरीबों का हिमायती था। मैं ने उनसे एक बात कही कि भाई तुम यह तालाबंदी और हड़ताल मत कराओ। यह जो बी.एम.एस हैं यह शायद तुमसे आगे निकल गया है। नारे से तुम्हारे और उनके बीच में अंतर हो गया है। इनका नारा क्या था चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। अब इसके क्या दूरगामी होंगे उद्योग चाहें बंद हो जाए लेकिन मांग इनकी पूरी हो। उद्योग चाहे मर जाएं लेकिन मांग इनकी पूरी हो। बी.एम.एस ने क्या नारा दिया कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। यह इन्होंने कहा। अगर ट्रेड यूनियन की यह नीति रही होती तो आज उद्योग मरते नहीं बीमार नहीं होते।

इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं रहा। इस समय जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह बात भी रहनी चाहिए कि उद्योग चलें, उद्योग फलें, नए उद्योग लगें, पुराने उद्योग बंद नहीं हों, कर्मकारों कि छंटनी नहीं हो और कर्मकार भर्ती हों। इसलिए ये जो ट्रेड यूनियन हैं उनके साथ मिल करके ऐसी व्यवस्था करें कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया है। इन्होंने प्राप्ति हो और ये बनी रहे। इस अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ।

अब जहां तक इस संशोधन का सवाल है तो यह एक बहुत छोटा संशोधन है। यह संशोधन मंत्री जी अपनी तरफ से नहीं लाए हैं। 75 वर्ष की अवधि में एक संशोधन विधेयक आया था, लेकिन वह भी वापस ले लिया गया और एक समिति बना दी गई कि जो हमारे रोजगार देने वाले हैं और जो कर्मकार हैं, इन दोनों के उसमें प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का गहन अध्ययन हुआ। उनके प्रस्तावों पर चर्चा हुई और वे प्रस्ताव पुनः भेजे गए और इसके बाद यह जो हमारी श्रम और कल्याण मंत्रालय की संसदीय समिति है उसको भेजे गए। तमाम मिला करके जो सिफारिशें आई हैं उनके अनुपालन में बड़े छनने के बाद यह विधेयक आया है। इसलिए इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करने की गुंजायश नहीं है।

इसलिए महोदय, मैं ज्यादा लंबा-चौड़ा भाषण न करके माननीय जाटिया जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष(श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री रामचन्द्र खूंटीआ। नहीं हैं। श्रीमती जमना देवी बारुपाल।

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगी कि यह सरकार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जितना प्रचार-प्रसार करती है यह सब एक ढोंग व दिखावा मात्र है। यह सिर्फ पेपरबाजी करती है और बड़े-बड़े अक्षरों में पोस्टरों और टेलीविजन पर दिखावा करती है कि हम गरीब मजदूरों व किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो 52 वर्षों के बाद भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं और इन आठ सालों में तो बिल्कुल ही इन गरीबों के जीवन का सत्यनाश ही हो गया है। कहीं इनको कोई नौकरी नहीं मिलती, कहीं इनको कोई सहारा नहीं न इनको काशत करने के लिए अच्छी जमीनें मिलती हैं और ये बेचारे अपनी रोजी-रोटी की तलाश में भटकते-भटकते बिल्कुल ही बेसहारा हो जाते हैं।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आडम्बर न करके वास्तव में इन लोगों के उद्धार के लिए, इनके जीवन-यापन के लिए यदि कुछ करने का है तो आप ऐसे ठोस कदम उठाएं, ऐसी नीति बनाएं कि जिससे इन गरीब किसानों, मजदूरों, एससी एंड एसटी की जो महिलाएं हैं इनको पूरा-पूरा लाभ मिले, इनको रोजगार मिले, ताकि वे अपनी जीविका दूसरे लोगों की तरह अच्छी तरह से चला सकें। यह मेरा छोटा सा आग्रह है। महोदय, मैं पार्टी को माध्यम बनाकर कभी कोई बात नहीं करती। मैं सिर्फ मन की पीड़ा, दर्द और अनुभव के आधार पर थोड़ा बहुत आप से आग्रह करती हूँ। मुझे आशा है कि हमारे सामने बैठे मंत्री महोदय मेरी बात पर विचार करेंगे, मनन करेंगे अब चाहे वह जटिया साहब मंत्री बन गए तो भी हमारे समाज को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है और न मैं जमना देवी बारुपाल यहां पार्लियामेंट में आकर आप से आग्रह कर लेती हूँ तो भी किसी गरीब आदमी का भला होने वाला नहीं है। महोदय, मैं ज्यादा न कहकर इतना ही

कहूंगी कि अब तो आप इन गरीबों के लिए थोड़ा सा विचार कर लीजिए, अब तो उन दीन-हीन लोगों की ओर देख लीजिए जोकि रोजी-रोटी की तलाश में अर्ध-नग्न हो जाते हैं, लेकिन सरकार उन की ओर कोई ध्यान नहीं देती। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ।

उपसभाध्यक्ष जी, आप का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने बहुत दिन बाद बिना तैयारी के मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, मैंने कल किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या के संबंध में एक विशेष आग्रह लिखकर दिया है। आज राजस्थान में अकाल पड़ रहा है। पिछले तीन साल से भयंकर अकाल से जूझते-जूझते 23 वर्ष हुए। बीकानेर में 60 से 70 किलोमीटर दूर वर्षा का अभाव है। ऐसी सूरत में हम पानी की बहुत तलाश है और वह उपलब्ध नहीं है। अभी विषय और है इसलिए मैं खेती और पानी के विषय पर न बोलकर बेकारी और बेरोजगारी के संबंध में आप से आग्रह करूंगी आज आप एक बहुत बड़े पद पर विराजमान हैं, इसलिए छोटे तबके की तरफ सहानुभूतिपूर्वक और हृदय में दर्द व वेदना लेकर कोई निर्णय करें जिससे कि आगे आने वाले समय में इन्हें लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JIBON ROY : Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. Sir, as such I am not against bringing any change in the Act. But It should be in favour of people. When this Bill is related to trade unions, It should be in favour of workers. You can take care of the employer. But at least the Government should be 50 per cent with the workers. That is the point. The thing is I fail to understand and at a loss to understand why at this point of time you are bringing this Bill. It is practically to beat the labour. Shri Sangh Priya Guatamji may not understand the dynamism of the trade union movement. But, Sir, you understand it better than anybody else. Is it possible for a trade union to mobilise 100 persons before it is registered? You know it better. It is just impossible when multinationalisation of trade union movement is taking place. Sir, I brought the case of Pepsi in Kanpur. All the workers were dismissed the moment they formed a union. In India not even in 60 per cent multinational companies any trade union exists. But if you put this clause that 100 persons have to be collected before a union is registered that means no trade union will be there. Nothing will be registered. I know when my union was formed at the initial stage when I collected seven persons one person was killed to foil it. If it is repeated, nobody can save it. The people who are associated with the trade union movement understand what this Bill means. You also know it. But the point is why are you bringing this Bill now? You are bringing it in the name of disciplining the labour movement and in the name of stopping multiplicity of trade union movement. Sir, we will not be able to avoid the multiplicity of trade union movement. Simply we will be delineating the trade union movement. I will come to that point later. But the thing is that the villain is

the employer and not the labour. ...(*Interruptions*)... According to the ILO, the wage cost on an average has gone down to five per cent between 1991 and now. Horrendous things are happening. The labour cost has come down to 50 per cent during this period. The total mandays lost between 1991 and today on account of lockout are 135 million. The ratio between strike and lockout which was one to one in 1991 has today come to one to four. Your 2000 Report says this. If there is one strike, there are five lockouts. Now, a Bill should come to discipline employer, specially the MNCs. At this moment of time, you are bringing this Bill to curb the formulation of the trade union movement. It is unfair, unfortunate and, I would say, that the biggest victim of this Government is Mr. Satyanarayana Jatiya as a labour leader. He was 100 per cent with the labour movement before he became a Minister. Once you became a Minister, we thought, that there would be 50:50. But, now, you have lost. Labour has completely lost faith in you. It is unfortunate. And you are the greatest victim of this Government. You know better as to what is the consequence of this Bill. I draw the attention of the other Minister too. Sir, more than 50 per cent of the trade unions are unregistered in India. All unions are departmental unions. All are functioning in the name of associations. All are functioning in the name of caste and community. The moment you enact this amendment, department-level unions will be formed all over the country, caste unions will be formed all over the country and unregistered unions will rule. You know that so far as the trade union movement is concerned, it does not go by law. It goes by mind and strength - strength of both the sides. Once you implement something like this, the entire trade union movement will get degenerated and you would not be able to stop it. I draw your attention to this matter. Can you stop registration of a trade union by passing a law? You can stop it only through democratisation of the system. Sir, fifty years have passed. We have been crying hoarse to pass a Bill for recognition of a trade union through second ballot. You allow the workers to choose their own leader. You have not done that. You do not want to give that right to the labour to choose his leader. You are degenerating the system by imposing extraneous things. Sir, you were the Labour Minister. You must know what problem had been there in Andhra Pradesh. Leaders from Andhra Pradesh are here. Long back, Mr. Anjaiah had introduced a second ballot system. Now, practically, that inter-multiplicity problem has gone. Inter-rivalry has gone. Not a single problem has ever occurred in Andhra Pradesh since the second ballot system was introduced. Why are you not extending that here? You can stop multiplicity

only through expanding the trade union democracy, expanding the right of worker to choose their leader through second ballot. You would not do it. You simply impose co-option and then you will degenerate the entire thing.

Now, take the example of the letter that I had written to you. You have not even answered my letter. I met you a number of times and drew your attention to Pepsi. Now, a big clash is going to take place between MNC and your Government. Tomorrow or the day after tomorrow, trade union is a safety guard to help the Government. This Bill will stop trade union movement in MNCs and help trade union movement in other Indian companies.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): जीवन राय जी, आप चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं।

SHRI JIBON ROY: Sir, sorry. Despite that...

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, ये उधर ज्यादा देखते हैं फिर भी ये नहीं लिखते आपका नाम।

SHRI JIBON ROY: No, no. I never bothered about the press in my life. I bothered about the working-class. I bothered about the development of the working-class. So, do not say that. Do not put that question to me. I never bothered about the press throughout my life. The thing is, this is a pertinent point. Sir, despite all those things — though I do not agree with many of the changes - still the trade union movement has reconciled with all those changes. The restriction with regard to leadership to an outsider, etc., I do not agree. But, still, I have reconciled. I am even ready to reconcile with a minimum number of 100. Sir, trade union movement is also ready to reconcile but the only relief the trade union movement wanted from your Government is that for the purpose of verification, you restrict the persons to seven. Do not ask all the 100 people to parade or march over. Do not ask all the 100 people to march before the Registrar's Office. That means, in between the process, one dozen will be killed, one dozen will be kidnapped and it will be impossible to have a registration.

A number of times I have appealed to you, Sir, that all the objections should be withdrawn. The trade union movement will recognise that and will agree with all that. You give a minimum rider. But you have refused to give that rider. It speaks of the situation of helplessness that you are in. You know better what it means. You have brought the Bill in the

3.00 P.M.

name of Ramanujam Commission report. You have said in the Statement of Objects and Reasons too that the present Bill, with minor amendments, is based on recommendations made by trade union organizations. A Committee was constituted by the Indian Labour Conference, not by any trade union. That Committee consisted of representatives of employers, employees and the Government. Shri G. Ramanujam, the then president of INTUC, was the Chairman of that Committee. In his unanimous report, he says, "The suggestion that 10 per cent or 100, whichever is less, should be the minimum membership is quite different from insisting that 10 per cent or 100 members should sign an application form. If 100 members have to sign an application form, it will be a difficult process to verify all the 100 signatures and the process will be time-consuming and frustrating, if even one or two out of the 100 drop out after signing the application for any reason. The Committee recommended that the minimum strength for registration of a trade union should be 10 per cent of the employees or 100 employees; whichever is less, subject to a minimum of seven members. In the case of application for registration, it will be enough if any seven persons, out of the total membership, pass the test in the process of verification. This will help the small-scale sector as well as the unorganised sector also." This is the unanimous recommendation of trade unions, employers and employees. Sir, we wanted that minimum rider. I had not given any amendments on any of the subject because I know I have to reconcile with the system, and I have simply said that you do the other verification, but for the purpose of personal scrutiny, please restrict it to seven. I know, you will not agree with me.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब समाप्त करें ।

SHRI JIBON ROY: I will just finish, Sir. I know, you will not agree with me. I know and you also know that you are in unanimity with me. But your position is such that you cannot agree with it. But I caution you that this clause will result in a massacre of the trade union cadres. The Government of Rajasthan will not allow the MS to register a union. The Governments in other States will not allow INTUC to register a union and, in the process, the Registrar of Trade Unions will ask the people, all the

hundred, to march, and in between, there will be killings and kidnappings. You may assure, Sir. But, in the law, no such provision is there.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप समाप्त करें ।

SHRI JIBON ROY: What I am saying here, I am saying from my experience. I have been in this field for the last forty years. I know what has been happening. Chitharanjanji is there. Therefore, you think over it. I am not going to press the amendment...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अब आप बैठ जाएं ।

SHRI JIBON ROY: ...because it is a technical subject. It is not politics.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, we are discussing the Trade Unions (Amendment) Bill, 2000, at a time when both the public sector and the private sector industries which comprise our economy, are at the cross-roads and are unable to cope with the global competition. The ground reality is, even a staunch communist country like China is totally dependent on foreign direct investment to develop its economy and also to improve employment opportunities there. We cannot remain in isolation of this global trend. Sir, I do not want to go into details, but to create a buoyant economy, we will have to make some structural changes, not only in the financial sector but also in the labour sector. I am glad to know that India is far ahead of the advanced countries — for example, like America - in making laws for the welfare of the labour. Even after 150 years of introducing democracy in Great Britain, they have not made so much effective laws concerning the welfare of the labour as we have made by way of the Industrial Disputes Act, the Factories Act, the Minimum Wages Act, the Provident Fund, ESI, Bonus and Gratuity Acts. All these laws have been made to protect the industrial labour from being exploited by the managements. Mr. Vice-Chairman, Sir, one aspect which seriously turns my mind is this. Why should outsiders lead a trade union in a particular industry? Can't we manage our own affairs? Why should we leave it to the outsiders, who are in the habit of exploiting the situation for their personal aggrandizement or political advancement. This aspect has to be taken note of. I strongly feel that the union affairs of a particular industry should be allowed to be managed by the members of that union only and not by outsiders.

Sir, I hope, my friends in the Communist Party- of course, some friends are there - will not be upset with me when I say that trade unionism in India, which essentially sought to bargain on behalf of those employees who were already well protected by the Government and the public sector itself, has, in fact, become superfluous and, in a way, counter-productive also.

In fact, most unfortunately, there has emerged a curious inverse relationship between active trade unionism and industrial growth. Unfortunately, during the last four or five years, many public and private sector units have been closed, leaving a large number of people unemployed. One survey indicates that one of the main reasons for the industrial sickness is the labour unrest. It has to be eradicated. The need of the hour is to strengthen the organisation and the management, and not unhealthy trade unionism which is the main cause for the industrial sickness; otherwise, the so-called concern for the welfare of the workforce will be totally misplaced. As a first step in this direction, I appeal that the matter of industrial disputes and bargaining should be left to the employees themselves and there should be no outside interference. Today, given the information explosion, the workers are educated and informed enough to address their own problems.

Hence, Sir, I support the Bill which aims at reducing the multiplicity of trade unions, promoting internal democracy, rank- and- file leadership in trade unions and facilitating their orderly growth. Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is good that this Bill has been brought forward for discussion, after the observations have been accepted by the Committee as well as the trade unions.

Sir, the Trade Union (Amendment) Bill, 2000 stipulates some minimum membership for registration. It also deals with the subscription rates, duration of the members of the executive committee, and the restoration of registration, in case it is deleted from the list of registration, and so on. Sir, regarding the welfare of the workers, we have to concentrate our mind in two areas. One is regarding the registration of trade unions, and the second is regarding the recognition of trade unions. But, as far as this Bill is concerned, only one area is being covered, and that is also an incomprehensive one. Sir, along with this, the other aspects have also to be considered by the Government to see that a proper safety net is provided to the labour. Sir, in our country, only less than 11 per cent of the workers are in organised sector, and nearly 90 per cent — exactly 89 per cent -- of the workers are in the unorganised sector. Sir, in this Bill, I want to make two suggestions. The first suggestion is regarding the subscription that is prescribed in the Bill. I think, this aspect can be left to the trade unions. Sometimes, the trade unions may charge even less than what has been prescribed in the Bill. Wherever it is viable, they can charge

in such a way that they are able to run the trade unions without any financial problems. Therefore, I feel that this aspect should be left to the trade unions. So, I want an amendment in section 6, clause (ee) of the principal Act. Then, after clause (h) of the same section, they want to insert another clause, i.e., clause (hh). Sir, I want to quote clause (hh) here. It is said, "the duration of period being not more than three years, for which the members of the executive and other office-bearers of the Trade Union shall be elected." Sir, instead of three years, I feel if it could be changed to two years, it would be better for the effective administration of the trade unions. This is my second suggestion. Sir, apart from that, there are some more areas in which the Government has to concentrate. I find that there are some areas where there is no concurrence between the Finance Ministry and the Labour Ministry. For example, I would like to quote from the report of the Standing Committee on Labour and Welfare, 1999-2000. It is the 8th Report of the Committee. On page 3, it is said, "The Committee had recommended to amend the provisions relating to quantum of employment and scheduled industries restrictions in the EPF&MB Act, 1952 so that an ordinary labourer is not deprived of his right of social security. Ministry of Labour in their reply has stated that the matter has been examined. However, so far the same has not got the approval of the Ministry of Finance." Sir, from this report, what we are able to understand is that the Ministry of Labour has accepted this proposal, in principle. However, the Finance Minister has not given his nod to it.

We would like to know from the hon. Minister what action he has taken or proposes to take to see that this particular recommendation is implemented without any further delay after submission of the report.

Secondly, the National Child Labour Project has to be extended further. Here I quote the Committee report. It said: "The Committee decided that the Ministry may continue their endeavour to release and rehabilitate the working children and also to approach the Planning Commission for sanctioning of additional National Child Labour Projects alongwith the Budgetary provisions." For this they have to get the approval from the Planning Commission as well as the Finance Ministry. From the Report I do not find any improvement in this regard. I would like to know what action has been taken by the Ministry of Labour.

Sir, Regarding the Bonded Labour System Abolition Act, there should be some vigilance committees at the district and sub-divisional level for identification as well as for rehabilitation. This year nearly 14 States have

completed the process, but some States have kept this particular project in abeyance. I hope the hon. Minister will pursue the States which have kept it pending and see that the Vigilance Committees where they have not been established are established.

Before concluding I would like to say a few words about the recognition of labour unions. I understand a case regarding this is pending in the Andhra High Court. They have got a stay through a writ petition. If it is so, for the verification as well as for the recognition of the trade unions, the Government should move a little faster than what they have done so far, because, with the changing scenario the regional parties also have taken up their role to be in the mainstream of the Labour Movement. Keeping in view the prevailing position in this sub-continent, the Labour Ministry should come forward to recognise the regional trade unions as the recognised trade unions at the all-India level.

With these words I support the Bill.

'SHRI R. KAMARAJ (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, coming from the southern tip of India, from the great Tamil Nadu that makes history each day, I feel it my duty to bow before this August Assembly of elders. Sir, if we take ten tiny villages in the country, Sothiriyam in Thiruvavur district of Tamil Nadu would be the smallest among them. Hailing from such a small village, I stand here as a Member of this House. As I stand astonished, I think as to how a commoner like me could become a Member of this Council of States. Sir, I am here because of the benevolence of the Goddess of my heart and the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi. I take this opportunity to express my deep sense of gratitude to my revered leader Dr. Puratchi Thalaivi. I feel proud to say that till I breathe my last I shall be loyal to my leader who has been leading AIADMK with perseverance amidst all ups and downs like a warrior. It is my noble hearted leader who waived farmers loan to the tune of 311 crore rupees in Tamil Nadu. My leader was kind enough to provide free bicycle to girl students of higher secondary classes belonging to SC/ST communities so that they could attend school comfortably. I bow my head in gratitude to such tall leader.

Sir, it is my maiden speech. I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Trade Union (Amendment) Bill 2000. The

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

Parliamentary Standing Committee and the bipartite Committee involving trade unions, have already deliberated upon this Bill. So, I would not like to go into the technicalities of the Bill. I wish to make some general observations.

Sir, today everywhere there is talk of liberalization, privatization and globalization. The workers are the worst affected because of these policies of the Government. Even now it is reported that law is likely to be amended with respect to factories and units with less than 1000 workers, enabling the employer to lay off workers without the prior approval of the Government. I would request the Hon'ble Minister to clarify this point. Last year the Central Government had allocated a meagre 4.6 crore rupees for the Rural Workers Education Programmes. This amount is too small for a vast country. I appeal to the Minister to increase this amount. Mr. Vice-Chairman, Sir, the total work force of the country is about 35 crores. Out of this, 91 per cent workers belong to the unorganized sector. And 65 per cent among them are agricultural labourers. I feel very involved in this because, I come from an agrarian family. I know the conditions in which these agricultural labourers live. In my own village I see their plight. I have my own experience. As one who knows the miseries of farmers, I wish to ask this Government, what have you done for them so far? Availing this opportunity I would like to make an appeal. In my district of Thiruvavur, there are lots of agricultural wastes such as straw. The centre should come forward to set up industries in my district making use of these wastes. That will also generate employment opportunities in the area. If an industry is set up there, my Thiruvavur district, Thanjavur and Nagapattinam districts would be greatly benefited. The poor people below the poverty line shall be benefited.

Sir, in my area people are eager to see national highways. There is just a single stretch of national highways along the border of the district. That is all. More national highways should be laid in this region making transportation of agricultural products easy and convenient. Here I am reminded of a railway track in Mannargudi near Thiruvavur. Some 25 years before rail track was laid and trains were run there. It is a thing of the past. No train runs anymore there. I urge upon the Government to relay rail tracks and run trains on the route again. That will benefit the region because, Thiruvavur, Thiruthuraiipoondi, Mannargudi, Needamangalam and Thanjavur can be connected by that rail route.

Sir, before I conclude. I wish to clear a doubt that has arisen in my mind. I would like to know the powers I enjoy as a Member of this August House. Let us suppose that in my native place a relative of mine, say my maternal uncle has committed a crime, be it murder or burglary. Then police come to arrest him. At that stage, as a Member of this House, do I have the authority to prevent the police from arresting my relative, my uncle. Do I have the right to prevent the police from discharging their duty. I would expect the Central Government to clarify my doubt. With these words, I conclude.

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मुझे ट्रेड यूनियन (अमेडमेंट) बिल, 2000 को देखकर भारी निराशा हुई। हमारे मित्र डा. सत्य नारायण जटिया जी ने, मुझे लगता है कि एक ट्रेड यूनियन लीडर के बतौर इस बिल को ड्राफ्ट किया है, लेबर मिनिस्टर के बतौर नहीं। रमानुजम कमेटी की जो भी सिफारिशें थीं, मुझे लगता है कि उन्होंने बिना सोचे- समझे उसका वरबेटिम उठाकर इसमें डाल दिया है। सिर्फ एक पक्ष का इसमें ध्यान दिया गया है। आज हिन्दुस्तान में जो माहौल है, मुझे लगता है कि जो सबसे गंभीर और सबसे चिंता का विषय है, वह ट्रेड यूनियन्स के मुत्तलिक है। सारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं। आज यू.पी और बिहार में दस उद्योग भी नहीं बचे हैं। इतना अनइम्पलाईमेंट आने वाला है कि जब भविष्य में युवक हम लोगों से इस बारे में पूछेंगे तो आप और हम उनको जवाब नहीं दे पायेंगे। यू.पी में जितनी मिलें हैं वे सब बंद होती जा रही हैं। कानपुर में जाकर देख लीजिए कि वहां पर जितनी टैक्सटायल मिल्स हैं, वे सब बंद होती जा रही हैं। इसमें जो ट्रेड यूनियन्स का रोल है, वह बहुत ज्यादा इम्पार्टेंट है। हमारी ट्रेड यूनियन्स का रोल प्रो-लेबल होना चाहिए, मजदूर समर्थक होना चाहिए लेकिन आज जो भूमिका, उनकी बनती जा रही है वह धीरे धीरे मजदूर विरोधी होती जा रही है। हो क्या रहा है? एक प्रोफेशनल लीडरशिप बन गई है। मैं सब को ब्लेम नहीं करता। लेकिन ट्रेड यूनियनों में कुछ प्रोफेशनल लीडर तमाम घूमते हैं और उन्होंने इसको खाने पीने का एक धंधा बना रखा है। फैक्टरी लगी, वहां पहुंच गए, यूनियन रजिस्टर्ड करा ली और दो साल बाद उसको बंद करा दिया। वहां के मजदूरों का क्या होगा, जिनकी नौकी चली जाती है, उनके बारे में कुछ न सोचकर उनको छोड़कर अगली फैक्टरी की तरफ चले जाते हैं, अगले आर्गनाइजेशन में चले जाते हैं। महोदय मैं कानपुर का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर इतनी टैक्सटाइल मिलें थी, इतनी जुट मिलें थीं। तमाम किस्म की कम से कम 35 बड़ी मिलें थी जिन में तीन-चार लाख वर्कस काम करते थे उस समय चार हजार रुपया मजदूर की तनखाह थी। वहां क्या हुआ? बाहर से चट्रेड यूनियन लीडर आए। उन लोगों ने आकर क्या किया? हर जगह बड़ताल, हड़ताल और हड़ताल। वहां जो अंदर के वर्कस थे उनमें उनके नेता कम थे, सब बाहर से लेकर आते थे। धीरे-धीरे वहां यह नौबत आई कि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। पिछले 10 साल से वहां हजारों मजदूर बेकार हैं। पहले पान की दुकान लगाई, फेरी गई सब्जी की दुकान लगाई, जब नहीं चली तो फिर वे गांव चले गये। 85 आत्महत्याएं हुई नहीं। कौन ट्रेड यूनियन नेता उनको पूछने जा रहा है? मैं तो इसको मजदूर विरोधी एटीट्यूड मानता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ज्यादातर ट्रेड यूनियन नेता प्रोफेशनल थे जो बाहर से आए थे। उनकी इस फैक्टरी में आर्गनाइजेशन में कोई स्टेक नहीं। जो बिल आज मंत्री जी ने पेश किया है वह इस बात को इनकरेज करता है सिर्फ 10 प्रसेंट लोग जो हैं वहां के एक्चुअल इम्पलाई होने चाहियें, क्यों

नहीं मंत्री जी इसको अनिवार्य बनाते हैं कि 80 परसेंट वहां काम करने वाले लोग होने चाहियें और कम से कम तीन चौथाई आफिस बियरर भी वहीं काम करने वाले लोग हों। इससे क्या होगा कि बाहर के लोग जो आ कर नेतागिरी करते हैं उनकी नेतागिरी कम होगी। क्योंकि उन लोगों का कोई स्टैक नहीं होता वह एक मिल से निकले में चले गये, दूसरी से निकले तीसरी में चले गये। इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देना चाहिये और यह अमेंडमेंट इसमें लाना चाहिये कि मिनिमम 80 परसेंट वर्कर जो हैं वहीं उस ट्रेड यूनियन की इस यूनिट में मैम्बर हो सकते हैं जो एक्जुअल वहां पर काम कर रहे हों। यह तो आपने आप्णान छोड़ दिया मिनिमम 10 परसेंट से रजिस्ट्रेशन होगा मिनिमम रजिस्ट्रेशन ही 80 परसेंट वर्कर से होना चाहिये। बाहर के लोगों पर रोक लगा दीजिये कि बाहर के लोग 10 परसेंट से ज्यादा नहीं होंगे चाहे वह इनटक के हों, बी.एम.एस.के हों या सीटू के हों, किसी के भी हों। चीन में आप देखें वहां पर ट्रेड यूनियन का रोल हड़ताल कराना नहीं है, सहयोग करना है कि कैसे उत्पादन बढ़े आज वहां देखिये इंडस्ट्री कितनी जबरदस्त ढंग से चल रही है। स्पेशल इकोनोमिका जोन किस तरह से काम कर रहे हैं। इतनी इंडस्ट्री वहां है, 57 बिलियन डालर की अर्निंग है पूरे साल की लेकिन हमारे यहां विशेषकर नार्थ इण्डिया में तो इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। आन्ध्र प्रदेश में बढ़ रही है लेकिन नार्थ इण्डिया में तो सब से बुरा हाल है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ इंतजाम होना चाहिये। अगर कोई इंडस्ट्री सिक होती है तो मेनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और ट्रेड यूनियंस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं चाहिये। हमारे यहां ट्रेड यूनियंस की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, ट्रेड यूनियंस के लीडरज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।

श्री लछमन सिंह(हरियाणा):जिन्दाबाद, मुर्दाबाद सिर्फ करते हैं।

श्री राजीव शुक्ल: हां सिर्फ जिन्दाबाद, मुर्दाबाद करते हैं। यूनिट की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी है, आर्टिकल 22 में कहा है कि कोई भी इम्पलाई भले ही रिट्रेंच कर दिया हो, रिटायर हो गया हो, फिर भी उस ट्रेड यूनियन में हो सकता है। यह तो वेस्टेड इंटेरेस्ट क्रिएट कर दिया आपने। एक आदमी जिसका कोई स्टैक नहीं है फिर उसको मैम्बर क्यों बनाया जाए। उसको बिल्कुल हटाइये। ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष भी वहा का इम्पलाई होना चाहिये, यह बात भी कम्पलसरी करनी चाहिये। अगर हम यह सारे अमेंडमेंट नहीं लाए, लेबर रिफार्म बहुत बड़ी बात है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, यहां पर अरुण शौरी जी बैठे हैं, सब लोग यहां बैठे हैं। लेबर रिफार्म हर हालत में लाने चाहियें क्योंकि उन्ही से मजदूरों का भला है, श्रमिकों का भला है। वरना इतना अनइम्पलवायमेंट बढ़ जाएगा कि आप इसे रोक नहीं सकते। इसलिए मौजूदा बिल का, मैं एन.डी.ए.में हूं, फिर भी मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इस बिल का, समर्थन नहीं कर सकता जब तक इसमें संशोधन न हो धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Sir. I would like to submit that the Trade Union (Amendment) Bill is having a history of twelve to thirteen years* It was first sought to be introduced in Rajya Sabha in the year 1988, and, subsequently, a Tripartite Committee was appointed under the chairmanship of Shri G. Ramanujam to make recommendations on the

Trade Union (Amendment) Bill. Then, it was referred to the Parliamentary Standing Committee on Labour and Welfare, and, after a detailed discussion, the Bill has now come before this House for its consideration.

The main aim and objective of the Trade Union (Amendment) Bill is to reduce the number of trade unions. The multiplicity of trade unions has to be contained. That is the main objective.

Regarding the subscription fees also, there are certain amendments to be made in the Bill. The Bill has to take into consideration various things, so far as the situation prevailing in the country is concerned. The Bill was first introduced or attempted to be introduced in this House in the year 1988. The Ramanujam Committee was appointed in the year 1990 and the subsequent verification was done in the year 1994. My point is that the entire economic scenario and the industrial relations in the country have totally changed since then. Now, the Second Labour Commission has been constituted and is taking evidence. A comprehensive legislation, making drastic amendments to the labour laws of the country, is going to come before the Parliament. That is the peculiar situation prevailing in this country. While presenting the last Budget, the hon. Finance Minister had categorically stated that the provisions of the Industrial Disputes Act would not be applicable to those establishments where the number of workers are less than one thousand. Earlier the prescribed number of workers was hundred. A legislation is to come before the House in that respect also. So, drastic changes are going to take place in the labour laws of the country. A comprehensive legislation is going to be brought by this Government. That is the desire of the Government. So, this Trade Unions (Amendment) Bill can also be considered at that time.

I would like to know from the hon. Minister of Labour what the labour policy of the Government of India is ? The Government should have a policy with regard to labour. In the context of the neo-liberalised economic policy, the Government should have a labour policy. I would like to know whether this Government has any labour policy. The Finance Minister had categorically mentioned about the ID Act. The Second Labour Commission's recommendations are going to come. Taking into account all these things, according to my knowledge, this Government's as well as the modem managements' desire is to reduce the workforce and to reduce the collective bargaining capacity of the workers. When we consider this Bill, I think this is the desire of the Government. The latest policy of the Government is hire and fire. The Government is encouraging contract

workers. The contract system was abolished by this Parliament. Now, it is coming in another form. The Contract Act was taken away and a new Act is going to come. That means the contract system is going to come again. The labour policy, which is being pursued by this Government, is anti working class and against the interests of the working class in the country. The number of trade unions can be reduced. As regards registration of trade unions, in this Bill, the number of workers has been enhanced to 100 or 10 per cent of the total workforce in a particular establishment instead of 7. Suppose a company or an industrial establishment has 1000 workers. Hundred workers are required for getting preliminary registration. Identification has to be done. Suppose I belong to a particular trade union. How will the identification be done? The management will get hold on the workers and, most probably, those workers will hesitate to sign or appear for an identification parade and all those things. So, as regards registration, why should the number be limited? If you want to limit the activities of the trade unions, there is another mechanism available in our country. There is the system of referendum. In most of the industrial establishments there is the system of referendum. A minimum percentage of workers, say, 15% or 20%, has to cast their votes in favour of a particular trade union and that trade union alone has a right to raise the demands or consult the management. Why should you deny the right to form a trade union? It is a right conferred under the Constitution. Right to form an association is a right given under article 19(1)(C) of the Constitution. It is a Fundamental Right given under the Constitution. You can impose only reasonable restrictions. But I hope this is not a reasonable restriction. You can have a referendum in these industrial establishments. As far as registration is concerned, the enhancement of the number of workers to 100 cannot be justified in any way. I, therefore, urge the Government, especially, the Minister of Labour, to reconsider this and this Bill can also come along with the comprehensive legislation which the Government is going to bring in the next session or in the coming days. With these words, I conclude my speech.

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने के लिए विधेयक इतने अर्से बाद लाया गया है, इसलिए श्रम मंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। इसमें जो धारा 4, धारा 9(क), धारा 11, धारा 22 द्वारा जो संशोधन लाए गए हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवसाय संघ के संगठित कर्मकारों को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, उनके प्रति इस अधिनियम में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और आज सब से ज्यादा दुखी हालत में अगर कोई है तो वह इस देश का असंगठित खेतिहर मजदूर है।

महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि गांव के खेतिहर मजदूर जो पूरे परिवार सहित खेती में लगे हुए हैं उनके पास एक इंच जमीन नहीं है। वे अपने मालिकों के खेतों में ही दिन-रात रहते हैं। वहीं झोपड़-पट्टी आदि बना करके गुजर-बसर भी करते हैं। अगर मजदूरी मांगते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार के तांडव किए जाते हैं, तानाशाही की जाती है और सामंतवादी रवैया अख्तियार किया जाता है। जिसके कारण वे सारे मजदूर कभी-कभी तो गांव छोड़ करके शहरों की ओर पलायित हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज मशीनीकरण का युग भी आ गया है। पहले गांव में खेती का काम जो मजदूर किया करते थे, वहीं मशीनीकरण के कारण खेत की जुताई, बुवाई, कीटनाशक, सिंचाई, फसल की कटाई आदि का सब काम मशीनों से ही हो रहा है और आज दस मजदूरों का काम दो-तीन मजदूरों से ही होने लगा है और बाकी 7-8 मजदूर खाली होते जा रहे हैं। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है जिससे अपनी आजीविका करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। वे लोग मजबूर हो करके शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरों में भी वही मशीनीकरण का युग है। मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के कारण यहां भी अनेकों प्रकार की छंटनी हो रही है और तालाबंदी हो रही है, जिसके कारण वे पहले ही दयनीय हालत में जीवन-बसर कर रहे हैं। मंत्री महोदय द्वारा उनके हितों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। काश ऐसे मजदूरों का ध्यान रखा जाता और उनके लिए कोई न कोई प्रबन्ध किया जाता। उनको गांव इसलिए छोड़ना पड़ता है कि न उनके पास खेती है और न रहने के लिए आवास है। अगर गांवों की जमीनों का सर्वेक्षण करा करके जो ऊसर-परती जमीन है उसका यदि मजदूरों को पट्टा कर दिया जाए तो उनकी भी आजीविका चल सकती है और देश का भी विकास हो सकता है। मेरी राय में असंगठित मजदूरों के प्रति ध्यान न देने के कारण आज बंधुआ मजदूरों को भी बढ़ावा मिल रहा है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट तो बना है लेकिन वह एक दिखावा मात्र है। उस पर कोई अमल नहीं है। आज भी भट्टों में काम करने वाले लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। काश मंत्री जी खेतिहर मजदूरों, असंगठित मजदूरों और बंधुआ मजदूरों की ओर ध्यान देते तो बात जरूर बनती। मुझे आशा ही नहीं, भरोसा भी है कि माननीय मंत्री जी किसी न किसी रूप में इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

इसी आशा और प्रत्याशा के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, in Para 3 of the Statement of Objects and Reasons, it has been stated and I read: "The thrust of the recommendations is aimed at reducing multiplicity of the trade unions, promoting internal democracy and facilitating their orderly growth and regulation." Now, the promotion of internal democracy, I believe, is the crux of the success of any trade union movement, or, for that matter, any movement. And, I feel that the Trade Unions (Amendment) Bill, which has been brought before this House, suffers from a fatal defect. The fatal defect is that for elections within the trade unions or for referendums regarding recognition of trade unions, there is no provision for a secret ballot. I do believe that this Bill is a very essential one because we are now in an era where total economic conditions are changing, where industries have to compete; so, unless the labour is not

intimately and actively involved in the process of production, the Indian industry cannot compete with the rest of the world. As a part of the process, we need a strong and, above all, a healthy trade union, and, I believe, the absence of the provision for a separate ballot for trade union activities will result in the continuance of the present unsatisfactory environment due to which the activities of trade unions are not fulfilling the original purpose for which they were designed. So, I would submit, through you, to the hon. Minister and to the Government, that when the Trade Unions (Amendment) Bill, is brought to its final form, there has to be a provision that for all electoral activities in the trade union movement, whether for elections within the trade unions or for referendums regarding recognition of trade unions, the ballot must be secret.

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 पर 11 माननीय सदस्यों सर्वश्री चितरंजन जी, श्री संघ प्रिय गौतम जी, श्रीमती जमना देवी, श्री जीवन राँय, श्री रामचन्द्रैया जी, श्री विडुतेलै विरुम्भी, श्री आर.कामराज जी, श्री राजीव शुक्ल, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री गांधी आजाद और श्री शंकर राय चौधरी जी ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। महोदय, इस ट्रेड यूनियन बिल में जो संशोधन की बात है, उस में माननीय सदस्यों ने श्रम जगत के अनेक विषयों को प्रतिपादित किया है और अपने सुझाव भी दिए हैं।

महोदय, वास्तव में यह बिल 1926 का है और 75 साल पुराना है। हमारे देश में श्रम आंदोलन का इतिहास भी बहुत पुराना है और देश की आजादी में भी श्रम आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महोदय, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिस के कारण श्रमिकों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इस में तो उन को मार्गदर्शन देने और दिशा-निर्देश देने के प्रावधान किए गए हैं। अब इस में बाहर के प्रतिनिधि भी रखे जा सकते हैं। उन की संख्या जो आधी थी, उसे एक- तिहाई कर दिया गया है। उन की संख्या सीमित कर के 5 कर दी गयी है। महोदय, एक समय ऐसा था जब ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, आंदोलन से जुड़े अनेक पक्षों को बखूबी रखने की दृष्टि से जो परिपक्वता पहले नहीं रही होगी, उस दृष्टि से बाहर के लोगों का मार्गदर्शन करना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो श्रम आंदोलन है, वह काफी परिपक्व हो गया है और केवल अपने देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, आई.एल.ओ. में भी हमारा देश गवर्निंग बॉडी का मेंबर है और हम बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को वहां पर रख रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम जहां आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, आर्थिक वैश्वीकरण की बात करते हैं, इसी समय पर हमने सोशल ग्लोबलाइजेशन की बात की है जिसको कि आई.एल.ओ. में भी ठीक प्रकार से सुना गया। ऐसा नहीं है कि श्रम जगत की बातों के बारे में लोगों का ध्यान नहीं है। अभी जो सुझाव हमारे सामने आए हैं और जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनमें बार-बार उनकी चिंता यही रही है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में कुछ हो नहीं पाया है, संगठित क्षेत्र में हो पाया है और माननीय सदस्यों ने खेतिहर मजदूरों के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। हम कोशिश कर रहे थे कि खेतिहर मजदूरों

के बारे में कोई बिल आ जाए। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इसके लिए प्रयास भी किया गया किंतु मत्तैक्य नहीं हो पाया। इन सारी बातों के बावजूद हमने यह सोचा कि अगर विधेयक नहीं लाया जा सकता तो कोई बात नहीं लेकिन कुछ योजना जरूर लागू करनी चाहिए और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने इसी वर्ष से जुलाई की पहली तारीख से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 का शुभारंभ किया है जिसमें मजदूर एक रुपया प्रतिदिन यानी वर्ष में 365 रुपए इस योजना के लिए कंट्रीब्यूट करेगा और सरकार प्रतिदिन 2 रुपया यानी वर्ष में 730 रुपए कंट्रीब्यूट करके उनके इश्योरेंस और पेंशन का प्रबंध करेगी।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : चूंकि मंत्री जी ने अभी खेतिहर मजदूरों के बारे में विधेयक लाने की बात कही है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप मंत्री जी का भाषण समाप्त होने के पश्चात अपनी बात कहें, आप बाद में स्पष्टीकरण पूछें।

डा. सत्यनारायण जटिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर हमारा यह कहना है कि, यह विधेयक केवल ट्रेड यूनियनों के कार्यकरण के बारे में है कि श्रम संगठन किस प्रकार काम कर सकते हैं, इसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। महोदय, यह जो चिंता व्यक्त की गई है कि सभी लोगों को वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, यह जरूरी नहीं है। नाम और पते इसमें इसलिए लिखे गए हैं ताकि जब एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराई जाए तो उसके सदस्यों के नाम और पते वहां लिखाए जाएं और जब एक दूसरी ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराई जाती है तो उसकी क्या स्थिति है, उसके सत्यापन में सुविधा हो, इसलिए यह प्रोविजन किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की दृष्टि से कोई मनाही है। इसमें कहा गया है कि कम से कम 10 प्रतिशत यानी अगर कहीं 70 लोग काम करते हैं तो 7 लोगों के रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा यानी इसमें मिनिमम संख्या 70 रखी गई है ...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय : मंत्री जी, एक मिनट यील्ड कीजिए प्लीज़।

डा. सत्यनारायण जटिया : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जीवन राय : बात ऐसी है कि यह लॉ का सवाल है It is a matter of law. According to the law, the moment the Bill is passed, it will become operative through the Registrars of Trade Unions of respective State Governments. And when you are mentioning 100 members there, the officer under the Registrar of Trade Unions will be empowered to scrutinise personally whether the hundred employees are really the members of the trade union. Therefore, the question of marching orders will come in, irrespective of your assurance, unless otherwise it is mentioned in the Act specifically. It is upon you to agree or not to agree. This is the position.

डा. सत्यनारायण जटिया : जैसा कि आपने संशय व्यक्त किया है तथा इस प्रकार की जो बात आपने कही है कि जहां पर 1000 कामगार काम करते हैं वहां 100 सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता होगी दस प्रतिशत के अनुसार, क्योंकि जहां 2000 भी करते होंगे वहां भी 100

सदस्यों से रजिस्ट्रेशन करना संभव हो सकेगा क्योंकि हमने 100 या 10 प्रतिशत ऐसा कहा है। इस दृष्टि से कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इतने ट्रेड यूनियन मूवमेंट आपने देखे, मैंने देखे हैं, कभी भी इस देश के अंदर इस प्रकार से नहीं हुआ है कि कोई भी किसी भी बात को प्रतिबंधित कर सके। जो अधिकार हमको आर्टिकल 19(1) (सी) में मिले हैं, हम सब लोगों को अपनी बातों को कहने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, संघ बनाने की जो हमारी स्वतंत्रता है वह तो रहने वाली है। अभी यह बात कहते हुए किसी ने यह कहा है कि रिकॉगनिशन करने के बारे में क्या कुछ हो सकता है, सीक्रेट बैलट की बात हो सकती है, और जैसा कि अभी बताया गया कि द्वितीय श्रम आयोग अपनी सिफारिशें देने वाला वाला है। आने वाले समय में जब हम कानून का पूरा स्वरूप लेकर आने आने वाले हैं तो उस दृष्टि से इसमें रिकॉगनिशन को करना चाहिए। क्योंकि इस बारे में भी सभी ट्रेड यूनियनों से बातचीत करने के बाद कोई मतैक्य नहीं हो रहा था, उसमें कोई आम राय नहीं बन रही थी उसके कारण भी यह संभव नहीं हो सका। हमारे देश में यह जो त्रिपक्षता है यह बखूबी काम करता है और अनेक प्रकार की जो समितियाँ बनी हुई हैं श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत उसमें हम परस्पर चर्चा और विचार-विमर्श करते रहते हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन से हमारी चर्चा बार-बार होती रहती है और उनके जो सुझाव आते हैं वही हमारे लिए गाइडेंस प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हमारा काम करते रहते हैं। इस दृष्टि से यह सारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा कि यह कोई श्रम विरोधी और श्रम-हित विरोधी है। इस प्रकार का संशोधन करने का कोई कारण नहीं है। अभी जो कुछ कहा गया कि श्रम कानून में संशोधन हो रहे हैं तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से श्रम कानूनों के रहते हुए किसी भी मजदूर के हितों को कोई भी क्षति होने का कारण नहीं है। हमारी कोशिश यह होगी कि उनकी सामाजिक सुरक्षा के प्रबंधों को, उनके दायरों को हम अधिक पुख्ता और अच्छा बना सकें। तो यह संशोधन करने के लिए कोई कारण नहीं है। इस बदलते हुए परिवेश में जब यह कहा जा रहा हो कि लेबर रिफार्म्स हो रहे हैं, श्रम कानूनों में सुधार हो रहा है, श्रम जगत की परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है तो यह परिवर्तन जरूर हो रहा होगा किन्तु इस परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि इसके कारण कोई श्रम जगत की या श्रमिकों की या कामगारों की कार्य दशाओं, उनकी बाकी की बातों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में किसी भी तरह से कोई क्षति होने का कारण है और हमारी हर कोशिश होगी कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने की दृष्टि से जो-जो योजनाएं हमारे साथ काम कर रही हैं उनको और अधिक पुख्ता बनाने का काम करें चाहे वह प्रोविडेंट फंड का हो, चाहे वह ई.एस.आई. कारपोरेशन के माध्यम से हुआ हो, चाहे अभी पीछे सदन ने वर्कमैन कम्पेंसेशन का क्षतिपूर्ति का संशोधन पारित करने का काम किया है उसमें भी इसके कारण मजदूर को मिलने वाली जो राहत है उसमें डिसएबिलिटी होने की स्थिति में, मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसको हमने बढ़ाने का काम किया है, उसका दोगुना करने का काम किया है। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी हर कोशिश यही होगी कि श्रमिकों को राहत मिले और बदलते हुए परिवेश में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा किसी प्रकार से की जा सके।

जैसा माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं, उसके बारे में अपनी-अपनी राय प्रगट की है। उसके बारे में मैं अलग-अलग कह सकता हूँ और यह संभव है कि एक-एक मिनट में मैं उनको कह दूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। संघ प्रिय गौतम जी ने बोलते हुए कहा है कि जो देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, तो निश्चित रूप से यही एक मुख्य बात है कि इस

देश का हित सर्वोपरि है और देश का हित करते हुए श्रमिक हित की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। श्रमिक हित कभी देश के हित के विपरित नहीं है और देश हित के लिए श्रमिक हित किस प्रकार से बनाए से बनाए रखते हुए देश हित को किस प्रकार से किया जा सकता जा सकता है उस दृष्टि से एक आदर्श बात हमने कही थी। इस बारे में मैं उनका भी अभिनन्दन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी बात हमारे सामने रखी श्रीमती जमुना देवी जी ने कहा यहां बहुत सारी बातें कही जाती हैं कल्याण के बारे में गरीब के बारे में किसान के बारे में लेकिन वह होती नहीं हैं। परन्तु इनको कराने के लिए हम जिस प्रकार से शुरूआत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आज देश में जो हमारे पास श्रम बल है वह 40 करोड़ का है जो 40 करोड़ हमारा श्रम बल है उसके परिवारों की संख्या मिला लें तो प्रायः सात करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका श्रमजीवी है। तो श्रमजीवी लोगों की उपेक्षा करके कोई भी लोक तंत्र कोई भी सरकार लोक कल्याणकारी नहीं कहीं जा सकती और इसीलिए असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते होंगे, चाहे वह खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते होंगे चाहे वह छोटी-छोटी माईस में करने वाले लोग होते होंगे उन सबके बारे में चिंता करना हमारा फर्ज है। निश्चित रूप से जमना देवी जी की जो चिंता थी कि यह जो बेरोजगारी की समस्या है, बेकारी की समस्या है इन सबसे कैसे निजात पाया जाए तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हमने एक शुरूआत खेतिहर मजदूरों को लेकर की है जिसमें हमने कहा है कि मजदूरों से एक रूपया कांट्रिब्यूशन लेकर के इसमें दो रूपया सरकार मिलाएगी तथा पूरे बीमे की अवधि में जो उसने कांट्रिब्यूट किया है तो उसके पूरी बीमा राशि जो ढाई लाख रूपए हैं वह मिलने वाली है। निश्चित रूप से उसको पूरी ढाई लाख रूपये की बीमा राशि मिलने वाली है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ 18 रूपये महीने की उसको पेंशन की राशि दी जाने वाली है। एक विनम्र शुरूआत हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो गरीब दिहाड़ी पर काम करता है, जो मजदूर खेत में काम करता है, जिसकी जीविका का कोई दूसरा उपाय नहीं है उसको सुरक्षा देने की दृष्टि से इस सरकार ने इस उपाय को इस जुलाई से प्रारम्भ कर दिया है। श्री सी.रामचन्द्रैया जी ने श्रम कानूनों के बारे में काफी चर्चा की है ट्रेड यूनियन के बारे में भी उन्होंने कहा है। श्री एस.विरुम्भीजी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनके सुझाव आने वाले समय में हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। हम इनका ठीक समय पर जरूर उपयोग करके लाभ उठाएंगे। श्री शंकर रायचौधरीजीने सीक्रेट बैलेट के बारे में सुझाव दिया है हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि यह पद्धति जरूर अपनाई जाए। जब हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं और इसमें जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से मान्यता मिली हुई है तो इसमें भी यह हो सकता है इसमें जो लगने वाला खर्च है और उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में हम...(व्यवधान)...

SHRI JIBON ROY: If you provide secret ballot, then the Indian industry would automatically see a rise in productivity.

श्री खान गुफ़रान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): आप कब तक इसको करेंगे, इसके बारे में एश्योरेंस दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय: मेहरबानी करके इसको मनवा लीजिए। इससे इंडस्ट्री का बहुत भला होगा।...(व्यवधान)...

डा. सत्यनारायण जटिया: मैंने जैसा कि माननीय सदस्यों को बताया है कि इस पर हम आम राय सेंट्रल ट्रेड यूनियन से ले रहे हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं लेकिन वहां पर अभी एक राय नहीं बन पा रही है। इस पर राय आ जाने के बाद, सेकेंड लेबर कमीशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद, उसकी सिफारिशें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। जब हम एक पूरा सर्वांगीण कानून बनाने का काम करेंगे तो जो सेकेंड लेबर कमीशन काम रहा है वह निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों लिए काम कर रहा है, संगठित क्षेत्र के लिए तो कानून उपलब्ध हैं लेकिन उनमें भी सुधार करने का काम वह कर रहा है। इसलिए आप आश्वस्त रहें कि इन सारी बातों को आने के बाद हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इतना ही आज के अवसर पर मुझे कहना है। मैं माननीय सदन से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल बहुत लम्बे समय से सुविचारित है, इस पर सब जगह पर विचार हो चुका है और यह अच्छा होगा कि इसको पारित किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): श्री नागेन्द्र नाथ ओझा। भाषण नहीं, संक्षिप्त में कहिए।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : सर, भाषण नहीं करूंगा। मंत्री जी ने चूंकि बिना प्रसंग के बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित खेत मजदूर विधेयक का उल्लेख कर दिया और बता दिया कि मतैक्य नहीं होने के कारण चाहकर के भी इस विधेयक को वे नहीं ला सके। अगर इन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं कतई आपसे समय नहीं मांगता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी इसका उल्लेख करके यह बताने की कोशिश की है कि मतैक्य नहीं होने के कारण उस विधेयक को लाने का इरादा क्या सरकार ने छोड़ दिया है? मेरा आग्रह है कि यह इरादा नहीं छोड़ना चाहिए और मतैक्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरा प्रश्न भी पूछना है। जो नई बीमा योजना है उसका सभी लोग स्वागत करते हैं लेकिन क्या कारण है कि इस योजना की शुरुआत 50 जिलों में ही करेंगे? अगर आपको इतना ही कांफिडेंस है कि इस योजना बहुत ही परिमार्जित सोच-विचार कर लाई गई है तो देश के सभी जिलों में आपने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की है?

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, my question is very simple, that too, in relation to the sentence the hon. Labour Minister has used while replying to the discussion on the Bill. He has claimed that the interests of the workers are fully protected in this country. He was also referring to the social security net. In reply to a question of mine on the social security net, when I asked him in the last Session, in February, as to how many workers were retrained after the VRS Scheme, the answer was, Virtually none." When questioned as to how many workers were redeployed, the answer was "The information is not available." So, Sir, this sort of Bills could be brought forward when there is an ideal labour situation. Unfortunately, in this country of ours-my hon. friend would definitely agree with me, the situation on the labour front is quite deplorable. Sir, I am just seeking a clarification. ...*(Interruptions)*...

4.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री समा शंकर कौशिक कौशिक): इससे संबंधित कोई स्पष्टीकरण आप पूछना चाहें तो वह पूछें।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: When the entire situation is going to be at zero level, why should he claim all these things in the House? He has also referred to the international fora where he has made this point. This is far from the truth. Let us come to the truth. Let us accept the truth that this is the ground reality. The situation of the workers is very bad. I would request the Minister to respond to these points.

श्री सत्यनारायण जटिया: महोदय, ओझा जी ने जो पूछा है कि क्या आपने विधेयक के बारे में इरादा छोड़ दिया है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी यह कोशिश होगी — क्योंकि यह खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है और यह कन्क्रेट लिस्ट में है इसलिए केन्द्र और प्रदेश, दोनों की सलाहों के बाद ही इसको किया जा सकता है — निश्चित रूप से इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी एकमत कायम नहीं हो पाया इसलिए कुछ निश्चित कह पाना ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आपने कहा है कि पचास जिलों में आपने इसकी घोषणा की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि शुरुआत के तौर पर ऐसा किया गया है। हम जानते हैं कि इसके लिए जो प्रबंध करने हैं उसके लिए बाल श्रम योजना या बाकी जो मशीनरी जहां पर है, वहां हम उसको प्रारम्भ करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी हमने इसकी शुरुआत की है। आप लोगों ने इसमें जो सद् भावना व्यक्त की है, उससे मुझे विश्वास है कि इसको व्यापक बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।...(व्यवधान)...

श्री खान गुफरान जाहिदी : सर...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): बस अब हो गया। अब मैं व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 को वोट के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि :

“व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अब हम विधेयक पर धारावार विचार करेंगे।

धारा 2 से 4 तक विधेयक का अंग बने।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): धारा पांच पर दो संशोधन हैं, माननीय श्री चितरंजन जी और माननीय श्री जीवन राय जी।

Clause 5 (Insertion of new section 9A. Minimum requirement about membership of a Trade Union)

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Sir, I move:

"(3) That at page 2, Clause 5, be deleted."

Sir, according to clause 2 of the amending Bill, it is provided that 10 per cent or 100 workers should be there in order to get a union

registered. It is being done on the basis that it will help in avoiding proliferation of trade unions. I do not believe that it will help in reducing the number of trade unions. But anyhow, I am not opposing it. But here it is stated, "The registered trade union of workmen shall all time continue to have not less than 10 per cent or 100 as workmen, whichever is less subject to a minimum of seven engaged or employed in an establishment or an industry with which it is engaged as its members."

Sir, firstly this provision cannot be implemented. And this 'all time' means all the 365 days in a year a union should be having this ten per cent or 100 workers as its members. How can you verify it? What is the machinery for verifying that every day. It cannot be done. Of course, the Labour Department is the machinery which has to do it. ...*(Interruptions)*... Even at present, the Labour Department have other responsibilities. ...*(Interruptions)*... I do not want to go into the details of it. But how can they do it? Another thing is, of course, it can be done once in a year because trade unions will have to submit their annual returns yearly after every calendar year. Within a few months they have to submit their annual returns. After the calendar year, within two months, they will have to submit their annual returns. Then you can verify the membership. Or else, once in a year or once in two years verifications can be conducted. Instead of that, if you accept this and in the next clause, if you give powers to the Registrar that if he is satisfied that this much number is not there on a particular day, then the union should be deregistered. That provision will have to be deleted. That is my submission.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह अस्वीकृत हुआ ।

श्री जीवन राय: मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है ।

I move:

IV. That at page 2, after line 25, the following proviso be inserted, namely:-Provided that for the purpose of registration of a Trade Union, all Personal Scrutiny will be restricted to seven applicant members.'

You have agreed to that. The only thing is that the assurance that you have given will not work because, after the Act is made, nobody will hear you. Therefore, whatever you have accepted should be provided for in the Act itself.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह अस्वीकृत हुआ ।

[2 August, 2001]

RAJYA SABHA

धारा 5 विधेयक के अंग बनी ।

Clause 6 (Amendment of section 10)

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, I move:

"(4) That at page 2, clause 6, *be deleted.*"

Sir, this clause gives enormous power to the Registrar of Trade Unions. On the very same ground just on the satisfaction that the union is not having the minimum number of workers on the required day or date, the Registrar may immediately decide to de-recognise or cancel its registration. Thereby, this provision will be giving authority to the Registrar to behave in a high-handed manner. That would be very harmful to the trade unions. I suggest this should be deleted.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह अस्वीकृत हुआ ।

धारा 6 विधेयक का अंग बनी

धारा 7 विधेयक का अंग बनी ।

Clause 8

SHRI J. CHITHARANJAN: According to the explanation given in Clause 8, it is stated here that for the purpose of this section, an employee who has registered or has been retrenched, shall not be construed as an outsider for the purpose of holding an office in a trade union. According to the clauses above, it has been provided that a certain percentage or a certain number of office-bearers could be from outside. Here, what is being stated is that if there is an employee who is retrenched or has retired, then in that case he will not be considered as an outsider, for the purpose of being an office-bearer. Why should he be discriminated against? He is also one of the citizens. He should also be included. That is why I have moved the amendment.

उपसभाध्यक्ष (श्री समा शंकर कौशिक) : प्रश्न यह है

"पृष्ठ 3 पर पंक्ति 20 में शब्द नहीं को हटा दिया जाए"

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह अस्वीकृत हुआ ।

धारा 8 विधेयक का अंग बनी**धारा 9 विधेयक का अंग बनी**

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): धारा 1 में मंत्री जी का संशोधन है।

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 3 में अंक 2000 के स्थान पर अंक 2001 प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ**धारा 1 यथासंशोधित विधेयक का अंग बनी**

अधिनियमन सूत्र

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में शब्द इक्यानवें के स्थान पर शब्द बयानवें प्रतिस्थापित किया जाए”।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।**अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित विधेयक का अंग बना।****शीर्षक विधेयक का अंग बना।**

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

“यथासंशोधित विधेयक को पारित किया जाए”।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ**THE MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2001**

THE MINISTER OF STATE THE MINISTRY OF ROAD
TRANSPORT & HIGHWAYS (MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI):
Mr. Vice-Chairman, Sir, I move:

"That the Bill to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into
consideration."

Before I commend this Bill to the House, with your permission, I
would like to say a few words. As the hon. Members know, the Motor
Vehicles Act, 1988 came into force on 1st July, 1989. Through this Act, we
regulate the motor transport in the country. In 1994, we felt that we should